

सहमति से बनाए शारीरिक सम्बंध रेप नहीं कोर्ट ने माना

बरेली कोर्ट ने रेप केस में युवक को बाइज्जत बरी किया

३ बच्चों की मां ने ३५ साल की उम्र में साल २०१९ में रेप का केस दर्ज कराया था.

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

उ.प्र. - बरेली, झूठे मुकदमों में फंसे निर्दोष युवकों के लिए नजीर बन सकती है। अदालत ने दुष्कर्म मामले में बयान से मुकरने वाली युवती को उतने ही दिन जेल में रहने की सजा सुनाई है जितने दिन तक आरोपी युवक कैद में रहा। साथ ही उस पर पांच लाख ८८ हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है जो निर्दोष को बतौर मुआवजा दिया जाएगा। कोर्ट ने सजा सुनाते हुए कड़ी टिप्पणी की है। बरेली के कर्मचारी नगर की रहने वाली ३४ साल की महिला के तीन बच्चे हैं। आरोप है कि महिला के शिवम से संबंध थे और २०१६-२०१९ तक चले। इस पूरे मामले में महिला ने शिवम पर आरोप लगाया कि उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ ३ साल तक दुष्कर्म किया। २०१९ में महिला ने प्रेमनगर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने युवक को जेल भेज दिया। अदालत ने कहा कि दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध में फंसाने के लिए युवती ने सुरक्षा के



लिए बनाए गए कानून का दुष्प्रयोग किया। इस कानून के तहत आरोपी को आजीवन कारावास तक की सजा मिल सकती थी। झूठे मुकदमे की वजह से अजय को जेल में १६५३ दिन (चार साल छह महीने और आठ दिन) बिताने पड़े। वह २०१९ से आठ अप्रैल, २०२४ तक जेल में रहा। जज ने आरोपी युवती को १६५३ दिनों तक कैद की सजा सुनाई है। यह पूरा मामला २०१९ का है। अजय कुमार पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने साथ काम करने वाले सहयोगी की १५ साल की बहन का अपहरण कर रेप किया। नाबालिग ने पुलिस और कोर्ट को दिए बयान में बताया कि उसके साथ अजय ने दुष्कर्म किया। लड़की के झूठ की

फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज ने क्या कहा ?

पूरे मामले में स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर का कहना है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन न केवल वादी मुकदमा बल्कि अभियुक्त का भी मौलिक अधिकार है। न्यायालय पर वादी मुकदमा और अभियुक्तके अधिकारों की रक्षा करने की संपूर्ण जिम्मेदारी है। यदि वादी मुकदमा या पुलिस की ओर से अधिकारों का दुष्प्रयोग किया जाता है और अभियुक्तको गलत केस में फंसाया जाता है तो वादी मुकदमा एवं पुलिस को निश्चित रूप से दंडित करना चाहिए। प्रश्नगत मामले में पुलिस की ओर से निश्चित रूप से सत्य और निराधार आरोप पत्र दाखिल कर अधिकारों का दुष्प्रयोग किया गया है।

झूठे मुकदमे की वजह से अजय को जेल में १६५३ दिन (चार साल छह महीने और आठ दिन) बिताने पड़े। वह २०१९ से आठ अप्रैल, २०२४ तक जेल में रहा।

कोर्ट ने इस मामले में विवेचना करने वाले दरोगा, प्रेमनगर थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर और सर्किल के सीओ पर कार्रवाई के लिए एसएसपी को आदेश दिया है।

वजह से एक निर्दोष पर युवक को उम्रकैद व्यक्ति को जीवन के की सजा हो सकती थी। बहुमूल्य साढ़े चार साल आरोपी को जेल में रहने जेल में बिताने पड़े। का कलंक झेलना पड़ा। झूठी गवाही के आधार

फैसला सुनाने वाले जज रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने ३१ अगस्त को सुनाया।

कोर्ट ने कहा कि सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंध रेप की श्रेणी में नहीं आते हैं। साथ ही कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि तीन बच्चों की मां शादी के झांसे में कैसे आ सकती है। महिला बालिग है। और हिंदू धर्म में महिला का तलाक नहीं हुआ है और वह शादीशुदा है। बरेली, गाजियाबाद व मुगदाबाद के होटल में ले जाकर महिला को साथ रखा तो महिला पत्नी की तरह रही।

दो महीने बाद केस दर्ज कराने पर भी संदेह

घटना के एक साल दो माह बाद प्राथमिकी लिखाना भी संदेह कोर्ट ने कहा है कि सबसे ज्यादा संदेह यह पैदा करता है कि घटना के एक साल दो माह बाद मामले में प्राथमिकी क्यों लिखवाई गई जबकि, इस तरह की घटना में तत्काल प्राथमिकी लिखाई जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि इतने समय में बड़-चढकर तहरीर लिखने का समय मिल जाता है। संभवता इसीलिए लिखाई गई। इसी के साथ कोर्ट ने टिप्पणी की है कि यदि कोई महिला घर से चार-पांच घंटे गायब रहती है तो परिवार वाले जख् पूछते हैं कि इतनी देर कहां लगी? मगर इनके परिवार वालों ने नहीं पूछा? सबसे जख्सी कोर्ट में महिला यह भी नहीं बता पाई कि उसके साथ किन-किन नए लोगों ने दुष्कर्म किया। वीडियो की भी सत्यता नहीं मिली।

पुलिस की विवेचना पर उठे कई सवाल

बरेली पुलिस की विवेचना पर जुलाई माह में भी सवाल उठे। जब फर्जी तरह से धर्म परिवर्तन के मामले में कोर्ट ने दरोगा, थाना प्रभारी और सर्किल के सीओ पर कार्रवाई के आदेश दिए। अब प्रेमनगर थाने की पुलिस की विवेचना पर कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। बरेली की अदालत में बरेली पुलिस प्रशासन की ओर से आरोपी की विवेचना में पुलिस तथ्यात्मक

साक्ष्य जुटाये बगैर चार्जशीट लगा देती है। मेडिकल में शरीर में कहीं खरोंच के निशान नहीं थे, घटना के समय पहने कपड़ों को वह धो चुकी थी। साइबर सेल ने वीडियो की जांच की तब पता चला कि वह उसके पति के मोबाइल फोन से अपलोड किया गया था, जो कि बाद में डिलीट भी कर दिया गया। वीडियो में महिला उन दोनों युवकों का विरोध

नहीं कर रही, बल्कि सहमति प्रतीत हो रही। अश्लील वीडियो आरोपित युवकों से नहीं बल्कि महिला के पति के मोबाइल फोन से प्राप्त हुआ। इन सभी तथ्यों का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा कि अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मुकदमा कराया गया।

लखीमपुर विधायक को पीटने वाले ४ कार्यकर्ता भाजपा से बर्खास्त

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

लखीमपुर में सदर विधायक योगेश वर्मा को पीटने वाले अवधेश सिंह समेत चार भाजपा कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर कर दिया गया है। योगेश वर्मा ने सोमवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उनके साथ ३७ विधायक भी थे। विधायक ने आरोपी वकीलों के खिलाफ

कार्रवाई ना होने पर विधायक योगेश वर्मा ने नाराजगी जताई। 'मैंने मुख्यमंत्री सीएम योगी ने विधायक के सामने घटना की पूरी को कार्रवाई का भरोसा जानकारी दी। सीएम ने दिया। थोड़ी देर बाद आरोपियों के खिलाफ भाजपा ने विधायक मुकदमा दर्ज करने का

मुख्यमंत्री बोले-

अवधेश-पुष्पा समेत ४ आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए

के साथ मारपीट करने आदेश दिया। साथ ही वाले चारों कार्यकर्ताओं मामले में दोषी पुलिस को पार्टी से निष्कासित कर्मियों के खिलाफ कर दिया। इन सभी पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। योगीजी ने मेरी एफआईआर भी दर्ज की दिये हैं। योगीजी ने मेरी सुरक्षा बढ़ाने के भी निर्देश



विधानसभा अध्यक्ष से मिले विधायक

योगेश वर्मा के साथ करीब ३७ विधायकों ने सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से मुलाकात की। विधायकों ने स्प्रेआम एक विधायक की पिटाई होने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई ना होने पर नाराजगी जताई। महाना ने उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी से मुलाकात कर अपनी बात रखने की सलाह दी।

योगेश वर्मा ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष ने सभी दोषी अधिकारियों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी करने का आश्वासन दिया है।

आरोपी कार्यकर्ता निष्कासित

भाजपा के प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला ने बताया, '९ अक्टूबर को लखीमपुर में सहकारी बैंक के चुनाव के दौरान पुष्पा सिंह, अवधेश सिंह, अनिल यादव और ज्योति शुक्ला ने पार्टी विधायक योगेश वर्मा के साथ मारपीट की थी। पार्टी ने चारों के कृत्य को घोर अनुशासनहीनता मानते हुए पार्टी से निष्कासित किया है।'



अवधेश सिंह
अध्यक्ष बार एसोसिएशन,
लखीमपुर



पुष्पा सिंह
पूर्व ब्लॉक प्रमुख,
बेहजम



अनिल यादव
जिला उपाध्यक्ष,
भाजपा



ज्योति शुक्ला
पूर्व जिला संयोजक, बेटी
बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान

91182 21822

होम लोन
कमर्शियल लोन
प्रोजेक्ट लोन
पर्सनल लोन
मोर्गेज लोन
ओ.डी.
सी.सी.

M. No.: 9898315914

GSC

Insurance

FIRST PARTY & THIRD PARTY
MOTER-BIKE, CAR, AUTO

SHIV CSC CENTER

- MOTOR INSURANCE
- LIFE INSURANCE
- HEALTH INSURANCE
- GENERAL INSURANCE
- PESONAL ACCIDENTAL

MDFG ERGO
LIC
SBI general
SURAKSHA AUR BHAROSA DONO
IFFCO-TOKIO

क्रांति समय

www.krantisamay.com

क्रांति समय

www.krantisamay.com

क्रांति समय

www.krantisamay.com

त्यौहार आ रहे हैं तो क्या आप हमारे समाचार पत्र / न्युज चैनल सोशल मिडीया पेजो पर अपने बिजनेस और दुकान के विडियो बनाकर अपने बिजनेस और दुकान का प्रचार करना चाहते हैं ? तो जल्द से जल्द भेजेज या संपर्क करे...

सुरत शहर की जनता को सूचित किया जाता है की यदि आपके क्षेत्र / आस पड़ोस में कोई विशेष उत्सव/कार्यक्रम हो या स्कूल के वार्षिक महोत्सव के कार्यक्रम को प्रसारित करने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं...

Mo : 98791 41480 / 74909 23915 / 63546 19826

krantisamay f krantisamay @krantisamaynewsocial krantisamay info.krantisamay@gmail.com